UPSH010028042026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-5/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शाहजहांपुर।
पीठासीन अधिकारीः-अतीक उद्दीन (एच 0 जे0 एस 0)
जमानत प्रार्थना-पत्र सं0-1012/2026

महाराज सिंह पुत्र तोताराम, निवासी-ग्राम जोधपुर नबदिया, थाना-तिलहर, जिला-शाहजहाँपुर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

..... अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या-27/2026
धारा-105/3(5)बी०एन०एस 0
थाना-तिलहर, जिला-शाहजहांपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक-09.07.2026

1- यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त महाराज सिंह की ओर से मु0 अ 0 सं0-27/2026, अन्तर्गत धारा-105/3(5) बी०एन०एस 0 थाना-तिलहर, जिला-शाहजहांपुर में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरूद्ध है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महताब सिंह ने थाने में इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक-16.01.2026 को समय लगभग सात बजे शाम को उसके दामाद कुंवार पाल सिंह द्वारा जरिये फोन बताया गया कि तुम्हारी छोटी बहन माया देवी को उनके बेटे हरिसुमरन व पति महाराज सिंह द्वारा घरेलू झगड़े में लाठी डंडे से मारा-पीटा है, जिससे माया देवी की मृत्यु हो गयी। यह घटना करीब छः बजे शाम की है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

3- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी निर्दोष है और उसको रंजिशन के आधार पर झूठा मुकदमा लिखाया गया है। अभियोजन के अनुसार घरेलू झगड़े के आधार पर मृतक माया देवी को अभियुक्तगणों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट कर मृत्यु कारित करना बताया गया है। उसके अंतर्गत मृतक के मात्र सिर पर एक चोट है और शेष चोटें नान वायटल पार्ट पर हैं। मृत्यु का कारण कोमा इन टी मार्टम इंजरी बताया गया है और अभियुक्त पर जो लाठी रिकवर दिखायी गयी है, अभियोजन साक्ष्य के अनुरूप नहीं है, फर्जी लाठी की रिकवरी दिखायी गयी है। पुलिस व वादी ने मिलकर मनगढ़ंत कहानी का रूप दिया है। प्रार्थी घटना के समय अपने घर पर नहीं था और जनपद शाहजहांपुर में अपने किसी मुकदमें में तारीख लेने गया था, घटना होने के बाद प्रार्थी अपने घर पहुंचा था। प्रार्थी के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य

Digitally signed by ATEEQ UDDIN
Date: 2026.07.14 10:53:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन करते हुये जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी की बहन के साथ लाठी-डंडे से मारपीट की गयी तथा मारपीट में आयी चोटों के कारण ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। उक्त तर्क प्रस्तुत करते हुये अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5- पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि केस डायरी सं०-3 में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी सानवीर ने घटना को स्वयं देखे जाने का कथन किया है तथा अभियुक्त महाराज व उसके पुत्र हरिसुमरन द्वारा मृतक माया देवी के सिर पर लाठी मारने के कारण, उसकी मृत्यु होने का कथन किया है तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त महाराज से घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी बरामद की गयी है।

पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका को कुल सात चोटें दर्शित की गयी हैं, जो निम्न हैः-

1- *Contusion 11cmX7cm present on left side temporal region just above left ear.*
2- *Abrasion 1cmX0.5cm present on mid of chin.*
3- *Abrasion 7cmX5cm present on right forearm, 7cm below from right elbow joint.*
4- *Lacerated wound 2cmX1cm muscle deep present on right forearm, 4cm above from right wrist joint.*
5- *Lacerated wound 1.5cmX1Cm muscle deep present on right leg, 9cm below form right knee joint.*
6- *Lacerated wound 2cmX1cm muscle deep present on left leg, 12cm above form left ankle joint.*
7- *Contusion 8cmX5cm present on left side back, 11cm above from coccyx.*

पत्रावली में संलग्न मृतका माया देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कुल सात चोटें पायी गयी हैं तथा केस डायरी सं०-10 में पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक डा० मो० आसिफ ने मृत्यु का कारण कोमा एंटीमार्टम हेड इंजरी दर्शित किया है।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त महाराज सिंह द्वारा अपने पुत्र हरिसुमरन के साथ मिलकर मृतका के शरीर पर लाठी-डंडों से वार किया, जिससे मृतका के सिर में चोटें आयीं और अभियुक्त द्वारा कारित मारपीट में आयी हुई चोटों के कारण वादी मुकदमा की बहन माया देवी की मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण एंटीमार्टम हेड इंजरी दर्शाया गया है। अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी पुलिस द्वारा बरामद की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध हत्या जैसे जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है जो कि गंभीर प्रकृति का है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है, तदनुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **महाराज सिंह पुत्र तोताराम, निवासी-ग्राम जोधपुर नबदिया, थाना-तिलहर, जिला-शाहजहाँपुर** की ओर से मु0 अ 0 सं0-27/2026 अन्तर्गत धारा-105/3(5)बी०एन०एस 0 थाना-तिलहर, जिला-शाहजहांपुर, के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक-09.07.2026

(अतीक उद्दीन)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-5/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शाहजहांपुर।
जे०ओ० कोड-यू०पी० 1533